संख्या-35/2021/1046/22-2-2020-17(412)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2021***

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगेसर यादव पुत्र श्री काशीराम, निवासी, जनपद-श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगेसर यादव पुत्र श्री काशीराम, ग्राम-बलदान पुरवा दा0-हरदत्तनगर गिरंट, थाना-मल्हीपुर, जनपद-श्रावस्ती का रहने वाला है। दिनांक 23.03.2006 को मुन्नी देवी गोबर फेकने गयी वहॉ जगेसर ने मुन्नी देवी को पकड़ लिया तथा कैलास ने कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-59/2006 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 201, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 31.01.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 04 वर्ष 04 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती ने बन्दी के भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि बंदी गॉव की ही महिला की हत्या में निरूद्ध होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका **समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति, भोगी गयी सजा एवं जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की दशा में भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जगेसर यादव (बन्दी संख्या-04/2017) पुत्र श्री काशीराम, निवासी, जनपद-श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2021/1046(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in